रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 314] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 1981/भाद्र 30, 1903
No. 314] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 1981/BHADRA 30, 1903

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1981

सा०का०नि० 520 (अ) :- केन्द्रीय सरकार, अनिवार्य निक्षेप योजना (आय-करदाता) अधिनियम, 1974 (1974 का 38) की धारा 19 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनिवार्य निक्षेप (आयकर दाता) स्कीम, 1974 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनिवार्य निक्षेप (आय-करदाता) (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1981 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. अनिवार्य निक्षेप (आय-करदाता) स्कीम, 1974 के पैरा 6, के उप-पैरा (ब) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परन्तु किसी ऐसे मामले में जिसमें खाते का अन्तरण किसी ऐसे स्थान पर चाहा गया जहां उस बैंक का कार्यालय या शाखा नहीं है जिसमें खाता खोला गया है वहां जमा-

कर्ता उक्त खंड (ङ) के उप-खंड (ii) या उपखंड (iii) में निर्दिष्ट किसी अन्य बैंक के कार्यालय या शाखा में अपने खाते का अन्तरण करने के लिए आवेदन कर सकेगा।"

[सं० 4231/फा०सं० 144(1)/79 टीपीएल]

आर०आर० खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 1981

G.S.R. 520(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 19 of the Compulsory Deposit Scheme (Income-tax Payers) Act, 1974 (38 of 1974), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Compulsory Deposit (Income-tax Payers) Scheme, 1974, namely :—

1. (1) This scheme may be called the Compulsory Deposit (Income-tax Payers) (Third Amendment) Scheme, 1981.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In paragraph 6 of the Compulsory Deposit (Income-tax Payers) Scheme, 1974, after sub-paragraph (b), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that in a case where the transfer of the account is sought to a place which is not served by a branch or office of the bank in which such account is opened, the depositor may apply for the transfer of his account to any branch or office of any another bank referred to in sub-clause (ii) or sub-clause (iii) of the said clause (e) situate at such place".

[No. 4231/F. No. 144(1)/79-TPL]

R. R. KHOSLA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981